न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP1893
आपराधिक निगरानी संख्या–106/2026
कंप्यूटर रजि०सं०–106/2026
CNR NoUPGZ010020932026

1–हर्षित पुत्र संजय वर्मा
2–संजय वर्मा पुत्र प्रीतम सिंह वर्मा
निवासीगण–सी–3/4 यमुना विहार भजनपुरा, पूर्वी उत्तर दिल्ली।

–निगरानीकर्तागण

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) गाजियाबाद।

–विपक्षी

अंतर्गत धारा–25/30/9 आयुध अधि०
थाना–इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से वाद संख्या–80872/2023 सरकार बनाम हर्षित आदि अंतर्गत धारा–25/30/9 आयुध अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–02–2026 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण उक्त मुकदमे में जमानत पर हैं तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर दिया गया है। उक्त मुकदमे में सभी साक्षीगण की गवाही अंकित की जा चुकी है तथा अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा साक्षी से जिरह की जा चुकी है, परंतु साक्षी मोहित कुमार की मुख्य परीक्षा दिनांक 23–08–2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अंकित की गयी थी, अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा साक्षी मोहित कुमार से जिरह अंकित नहीं की गयी परंतु मोहित कुमार से जिरह पूर्ण होने से पहले अन्य साक्षीगण का बयान अंकित करा लिया गया था, जिन सभी साक्षीगण से अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण कर ली गयी है। उक्त मुकदमे में किसी भी साक्षी ने घटना की कोई पुष्टि नहीं की है, न ही अभियुक्तगण को गोली चलाते देखा है। यहाँ तक कि घटना के साक्षी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त नहीं की गयी है। चश्मदीद साक्षी मौ० आरिफ एवं साक्षी एजाज अहमद द्वारा जिरह में अभियुक्तगण को देखकर कहा कि उसने अभियुक्तगण को फायरिंग करते नहीं देखा था तथा न ही घटनास्थल पर घटना के समय देखा था। प्रार्थना पत्र में अग्रेतर यह भी कहा गया कि अभियुक्तगण का साक्षी मोहित कुमार से जिरह का अवसर समाप्त नहीं किया गया है तथा साक्षी मोहित कुमार से

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.10 10:48:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिरह करना शेष है। अतः निवेदन किया गया कि साक्षी मोहित कुमार को जिरह हेतु तलब किया जाए।

3– दिनांक 02–02–2026 को निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए परीक्षण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी संस्थित की गयी।

4– निगरानीकर्ता की ओर से अपने आधार निगरानी एवं तर्क में यह कहा गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है तथा न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग भी नहीं किया है। प्रश्नगत घटना के विषय में साक्षीगण व चश्मदीद साक्षी के बयानों के आधार पर निगरानीकर्तागण द्वारा परीक्षण न्यायालय को यह बताया गया था किंतु सभी साक्ष्य को नजर अन्दाज करके परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया। अतः निवेदन किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02–02–2026 अपास्त/खण्डित किया जाकर निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० के संदर्भ में साक्षी मोहित को जिरह हेतु तलब करने हेतु न्यायसंगत आदेश पारित किया जाए।

5– विपक्षी/अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है, एवं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6– पक्षकार अधिवक्ताओं को सुना गया एवं मूल अभिलेख व आक्षेपित आदेश दिनांक 02–02–2026 का अवलोकन किया गया।

7– परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण की ओर से साक्षी मोहित को जिरह हेतु तलब किए जाने के सम्बंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० पर यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थना पत्र में साक्षी से जिरह किए जाने का कोई आधार नहीं बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षी मोहित कुमार की साक्ष्य की तिथि में अभियुक्तगण की ओर से जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं था, अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। आदेश में अग्रेतर यह भी उल्लिखित है कि साक्षी मोहित कुमार द्वारा मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट साबित की गयी है तथा वह मात्र एक औपचारिक गवाह है। पत्रावली में अन्य सभी साक्षीगण की जिरह पूर्ण की जा चुकी है तथा पत्रावली अंतिम बहस में कई तिथियों से नियत है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० स्वीकार करने हेतु कोई उचित आधार न होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 02–02–2026 के माध्यम से निरस्त किया गया।

8– निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 द०प्र०सं० पर अभियोजन की ओर से आपत्ति करते हुए यह अंकित

किया गया कि साक्षी मोहित की प्रतिपरीक्षा में अंकित है कि जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं है, हाजिरी माफी दाखिल है। इस दिनांक को हाजिरी माफी दाखिल करने के कारण प्रतिकूल आदेश जेल वारण्ट में जारी नहीं हुआ है। अतः इस स्तर पर केवल विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो पोषणीय न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

9– मूल अभिलेख का अवलोकन करने से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में अभियोजन की ओर से कुल 06 साक्षीगण परीक्षित कराए गए हैं, जिनमें से साक्षी मोहित कुमार पी०डब्लू० 2 जिसके द्वारा फर्द के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का कथन किया गया है तथा जो मात्र एक औपचारिक गवाह है, के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षीगण एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण से अभियुक्तगण की ओर से जिरह पूर्ण की जा चुकी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह भी कथन किया गया है कि उक्त मुकदमे में किसी भी साक्षी/चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना की कोई पुष्टि नहीं की है तथा न ही अभियुक्तगण को गोली चलाते देखा है। यहाँ तक कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्त नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत् अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया कि उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि सभी साक्षीगण/चक्षुदर्शी साक्षीगण से अभियुक्तगण द्वारा जिरह पूर्ण कर ली गयी है तथा अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किए जाने के पश्चात् पत्रावली बहस के स्तर पर नियत है, ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से मात्र औपचारिक गवाह को जिरह हेतु तलब किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मुकदमे के निस्तारण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

10– मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि साक्षी मोहित कुमार पी०डब्लू० 2 की मुख्य परीक्षा दिनांक 23–08–2024 को अंकित की गयी। उक्त तिथि पर जिरह हेतु अभियुक्तगण की ओर से कोई उपस्थित नही था तथा अभियुक्तगण की ओर से हाजरी माफी दाखिल होने के कारण पत्रावली में दिनांक 02–09–2024 अंकित की गयी। दिनांक 02–09–2024 को भी अभियुक्त की ओर से हाजरी माफी प्रस्तुत की गयी एवं पत्रावली में शेष साक्ष्य पी०डब्लू० 2 दिनांक 17–09–2024 अंकित हुई। तत्पश्चात् अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किए गए जिनसे अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से जिरह पूर्ण की गयी। उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्तागण/ अभियुक्तगण की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 2 मोहित कुमार के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षीगण से 08–04–2025 को जिरह पूर्ण कर लिए जाने एवं पत्रावली में अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० दिनांक 21–04–2025 को अंकित किए जाने के पश्चात् से पत्रावली लगातार बहस हेतु नियत रही, तत्पश्चात् अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से उक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 मोहित कुमार को जिरह हेतु तलब किए जाने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिनांकित 22–08–2025 जिसपर परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 02–02–2026 को सुनवाई कर उसे स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए आदेश दिनांक 02–02–2026 के द्वारा निरस्त किया गया है।

10– उपरोक्त विमर्शन के उपरांत न्यायालय इस मत का है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.02.2026 पूर्णतया विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार यह दाण्डिक निगरानी निरस्त होने व आलोच्य आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

आदेश

यह दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 02.02.2026 पुष्ट किया जाता है।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलंब परीक्षण न्यायालय वापस भेजी जाए।

दिनांकः09.03.2026

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः09.03.2026

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।